

साहेबगंज समाहर्ता
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-डी0रखण्ड/साहेबगंज 02 /2017-18/ 489 /सूअध. दिनांक- 15/1/2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हाथीगढ़, थाना-तालझारी, थाना सं0-5, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में सम्पर्क पथ परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- हाथीगढ़, थाना-तालझारी, थाना सं0-5, अंचल-तालझारी में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.065 एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	60	100	रैयती	परती कदीम	0.025	सवित्री देवी, पति-अमरनाथ राय, सा०-हाथीगढ़, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज।				
2	60	133	रैयती	परती कदीम	0.040	1.शांति देवी, पति-स्व० श्री तुरी, 2. निर्मला देवी पति-बिगन तुरी, सा०-हाथीगढ़, थाना-तालझारी				
कुल रकवा-					0.065					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ

दिनों के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन कर ली आपत्तियां हितवद्द


भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को प्रकाशन के लिए प्रेरित की जा सकती।

६०—
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 489 / भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 26.9.2017

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


25/9/17
उपायुक्त,
साहेबगंज।

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 02 / 17-18 / 491 / भू0अ0, दिनांक- 3-10-2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में सम्पर्क पथ हेतु मौजा-हाथीगढ़, थाना-तालझारी, थाना सं0-05, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में कुल-4.820 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 4.820 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	164 165 167	रैयती	धानी-1 धानी-1 धानी-1	0.15 0.135 0.14	अघनु धांगड़ वो बुधु धांगड़ वल्द शुकरा धांगड़				
2	4	23	रैयती	धानी-3	0.14	एतना धांगड़ वल्द लिटिया धांगड़ वो भगु धांगड़ वल्द मोटीया धांगड़			13, 14, 15p, 17p	
3	6	88 129 106 130	रैयती	बाड़ी-1 बाड़ी-1 बाड़ी-1 धानी-3	0.075 0.36 0.01 0.005	बड़ा गुन्दरा धांगड़ वल्द वीरसा धांगड़			Road 172, 172, 315p	10, 9, 6p, 3p
4	9	310	रैयती	मकान सहन	0.03	रंगा तुरी वल्द झुमक तुरी			Road 23p 169p	
5	11	75 76 79 87 139 140	रैयती	बाड़ी-2 बाड़ी-1 मकान बाड़ी-1 बाड़ी-1 धानी-3	0.07 0.08 0.04 0.14 0.19 0.16	भोगड़े धांगड़ प्रधान वल्द वहरू धांगड़			168p 167p 165p 164p 140p 139p 135p 136p	24, 26p 41p 42p 43p 72p 75p 76p 77p
6	12	132	रैयती	मकान	0.015	छेदी नापित वल्द जवाहिर नापित			132p 131p	79p
7	14	128	रैयती	बाड़ी-1	0.315	मु०जेठली दोख्तर मतलु धांगड़			130 129p 128	80p 88p 99p
8	18	25 26 41 168	रैयती	धानी-2 धानी-1 धानी-2 धानी-1	0.12 0.335 0.045 0.275	झरी नापित वल्द गिरधारी नापित			Road 102 105p and 106p	100p
9	20	72 77	रैयती	बाड़ी-1 बाड़ी-1	0.09 0.025	दौलत धांगड़ वल्द भेलना धांगड़				
10	26	169	रैयती	धानी-2	0.235	बड़ा बुधु धांगड़ वल्द दशरथ धांगड़				
11	29	131 135	रैयती	बाड़ी-1 मकान	0.155 0.04	वौधा तुरी वो गंगाराम तुरी वल्द झुमक तुरी				
12	32	43	रैयती	बाड़ी-1	0.065	मआराम धांगड़ वो लालू धांगड़				

मौजा-स्मदानाला नं०-01 का चहारदिवारी

मौजा-जमनी नं०-03 का चहारदिवारी

सूची-1						
13	34	12 16 42	रैयती	बाड़ी-1 मकान बाड़ी-1	0.45 0.05 0.035	मो० सुसहर वल्द मो० डी० ली
14	38	6 7	रैयती	मकान मकान	0.04 0.02	मो० सकली दोखर मो० विशिया
15	39	99 102	रैयती	बाड़ी-1 बाड़ी-1	0.14 0.31	मो० शनीचरिया जौजे चुल्हाण धांगड़ सा०-देह वो मो० फलिया जौजे वीरसा धांगड़ सा०-कालाझोर वो मो० दुर्गी जौजे चामू धांगड़ सा०-बड़ा तौफिर
16	41	315	रैयती	बाड़ी-1	0.07	सुकरा मुसहर वल्द मोनू मुसहर
17	42/4	8 11	रैयती	मकान बाड़ी-1	0.02 0.03	जगू मंडल वो राम मंडल वल्द एतवारी मंडल
18	42/6	15	रैयती	मकान	0.005	भदु मुसहर वो मंगर मुसहर पेशरान महादेव मुसहर वो तिलक मुसहर माझी मुसहर
19	42/11	80	रैयती	मकान	0.035	रामचन्द्र कमार वल्द सोनाराम कमार
20	49	105	रैयती	मकान	0.005	चंदूराम वल्द मोतू राम
21	53	134	रैयती	मकान	0.03	दुर्गा नापीत वो महावरी नापीत वल्द लोचन नापीत
22	58	3 4	रैयती	मकान बाड़ी-1	0.005 0.06	लोटन सिंह वल्द सुखलाल सिंह
23	42/12	17	रैयती	मकान	0.01	सेमरा वल्द मानू मुसहर
24	60	100	रैयती	परती कदीम	0.025	सवित्री देवी, पति-अमरनाथ राय, सा०-हाथीगढ़, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज।
25	60	133	रैयती	परती कदीम	0.040	1.शांति देवी, पति-स्व० श्री तुरी, 2. निर्मला देवी पति-बिगन तुरी, सा०-हाथीगढ़, थाना-तालझारी
कुल रकवा-					4.820	

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं०-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....X.....
..., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

६०—
उपायुक्त,
साहेबगंज।

प्रतिलिपि - प्रवर्तक, जिला मजद शाखा, साहेबगंज को अगले क्रम में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के अंतर्गत सम्बन्धित जापॉक का प्रकाशन जिला मजद में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि - निदेशक, भू-अर्जन डारखण्ड, रांची को सूचनाार्थ प्रेषित।


उपायुक्त, 3/11/17
साहेबगंज।